प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 392/1993

आनंद कुमार अवं अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचार के लिए

सही

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता, न्यायधीश

मैं सहमत हूँ

सही

मुख्य न्यायधीश

25/07/2010

सही

न्यायधीश

27/07/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायधीश और

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 392/1993

अपीलकर्ता : 1.आनंद कुमार, पिता भंगे यादव (ठेठवार) उम्र लगभग 25 साल, चरवाहा

2.रघुराई, पिता मोती लाल वर्मा, उम्र लगभग 24 साल, चरवाहा दोनों अपीलकर्ता, ग्राम भरुवाडीह, थाना पलारी, तहसील बलौदाबाजार, जिला रायपुर के स्थायी निवासी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य), द्वारा थाना प्रभारी पुलिस थाना, बलौदाबाजार, जिला रायपुर

(दाण्डिक अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अधीन)

उपस्थित :

श्री यु. एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता एम.के. सिन्हा, अपीलकर्ताओं के ओर से

श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राज्य के ओर से।

<u>निर्णय</u>

<u>(29 जुलाई, 2010 को प्रदत्त)</u>

उपर्युक्त निर्णय **<u>माननीय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा</u>** द्वारा प्रदत्त - (1) अपीलकर्ताओं को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार, जिला रायपुर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 224/89 में दिनांक 8 फरवरी, 1993 को सुनाया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं:-

अपील करने वाले भरूवाडीह गाँव के रहने वाले हैं मृतक- जंतराम उनसे परिचित था । दिनांक 12 जून, 1989 को, मृतक की लाश भरूवाडीह से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक खुली जगह पर मिली। आरोप यह है कि मृतक, अपील करने वाले आनंद कुमार की पत्नी, कुमारी बाई पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए दिनांक 12 जून, 1989 की सुबह अपीलकर्ताओं द्वारा लाठी से उसकी मारपीट की गई । अभियोजन का कथन है कि उक्त तिथि पर, जब मृतक साइकिल पर दूध बेचने जा रहा था, जिसे उसने महेंद्र कुमार भट्टर (अ.सा.-13) की दुकान से किराए पर लिया था, तो उसे रास्ते में रोका गया और अपील करने वालों ने लाठियों और चाकू से उस पर हमला किया। उसे कई गंभीर चोटें आईं, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद अपील करने वाले मृतक की साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन-पलारी गए, जहाँ अपीलकर्ता आनंद कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी./15) दर्ज कराई। साइकिल, खून से सने कपड़े और खून से सनी लाठियाँ पुलिस स्टेशन में ही

ज़ब्त कर ली गईं। उन गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिन्होंने अपील करने वालों को घटनास्थल की ओर जाते और साइकिल पर पलारी की ओर जाते देखा था।

(3) निर्विवादतः, घटना का कोई प्रत्यक्ष दर्शी नहीं था और अभियोजन का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। सत्र न्यायालय ने नीचे दिए गए हालात को साबित माना और इन्हीं के आधार पर अपीलकर्ताओं को दंडित किया गया|

(i) अपीलकर्ता आनंद कुमार ने 12 जून, 1989 को लगभग दोपहर 12 बजे थाना पलारी में इकबालिया प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी./15) दर्ज कराई;

(ii)मृतक की किराये की साइकिल, अपीलकर्ताओं के खून से सने कपड़े और खून से सनी लाठियां पुलिस स्टेशन पलारी में अपीलकर्ताओं के कब्जे से जब्त की गईं;

(iii) दिनांक 12.06.1989 को प्रातः लगभग 6.00 बजे, अपीलकर्ताओं को ग्राम भरुवाडीह के जंगल में एक साथ देखा गया, जैसा लोकनाथ (अ.सा.-3) ने बताया।

(iv)बलराम (अ.सा.-15) ने कुछ दूरी से देखा कि दो व्यक्ति एक व्यक्ति को लाठियों से मार रहे थे। जिस व्यक्ति पर हमला किया जा रहा था, वह अपने आपको बचाने के लिए वहाँ से गुजर रही बैलगाड़ी पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसने यह भी देखा कि वे मृतक की साइकिल ले गए;

(v) कमलेश प्रसाद (अ.सा.-14) ने अपीलकर्ताओं को साइकिल पर ठेलकी गांव की तरफ जाते देखा;

(vi) अपील करने वाले रघुराई के अंगूठे और दाहिनी छोटी उंगली के पिछले हिस्से पर दो छोटे घाव मिले और घटनास्थल से खून से सना एक चाकू ज़ब्त किया गया।

(vii) अपीलकर्ताओं से जप्त लाठियों और वस्त्रों पर मानव रक्त के दाग पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) माननीय यू. एन. अवस्थी, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो अपीलकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत हुए, ने मृतक की मानव वध से इनकार नहीं किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं हुईं; वे अपीलकर्ताओं के दोष के साथ बिल्कुल संगत नहीं थीं; जो परिस्थितियाँ उत्पन्न की गईं, वे समझाई जा सकती थीं; वे निर्णायक स्वभाव की नहीं थीं; और ऐसा कोई पूर्ण परिस्थिति-संबंधी श्रृंखला नहीं थी जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अपीलकर्ता ही अपराध का रचयिता है और सभी मानवीय संभावना में कथित हत्या का कार्य उन्होंने ही करित किया है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) दूसरी ओर, श्री किशोर भादुरी, वरिष्ठ अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो राज्य की ओर से प्रस्तुत हुए, उन्होनें इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का समर्थन किया।

(6) हमने पक्षकारों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है |

(7) **धनंजय चैटर्जी बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, (1994) 2 SCC 22** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि

"परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित किसी मामले में, जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें न केवल पूरी तरह स्थापित किया जाना चाहिए, बल्कि स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक स्वभाव की और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य परिकल्पना द्वारा समझाई नहीं जा सकतीं, सिवाय अभियुक्त के दोष के, और साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता

के पक्ष में कोई युक्तियुक्त आधार न बचे। यह याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि केवल कानूनी रूप से स्थापित परिस्थितियाँ ही दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, न कि केवल न्यायालय की नाराजगी। और जितना गंभीर अपराध हो, साक्ष्यों की जांच में उतनी ही सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि संदेह प्रमाण का स्थान न ले सके।'"

(8) **बोध राज उर्फ बोधा और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य, AIR 2002 एस सी 3164**, में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सज़ा सिर्फ़ हालात के सबूतों के आधार पर दी जा सकती है, लेकिन हालात के सबूतों के आधार पर सज़ा देने से पहले की शर्तें पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए। वे हैं:

1) जिस परिस्थितियों से दोषसिद्धि का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे परिस्थितियाँ पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी ही चाहिए' या 'होनी चाहिए', न कि केवल 'हो सकती हैं

2) जो तथ्य स्थापित किए गए हैं, वे केवल इसी बात की ओर संकेत करने चाहिए कि अभियुक्त दोषी है; यानी वे किसी दूसरी संभावना या परिकल्पना से समझाए न जा सकें, सिवाय इसके कि अभियुक्त ही अपराध का दोषी है।

3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति वाली होनी चाहिए;

4) वे प्रत्येक संभावित परिकल्पना को समाप्त कर दें, सिवाय उस परिकल्पना के जिसे सिद्ध किया जाना है

5)सबूतों की श्रृंखला इतनी पूरी और सुसंगत होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त संदेह न बचे, और समस्त परिस्थितियाँ यह दर्शाएँ कि

सामान्य मानव संभावना के अनुसार वह कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(9) बोध राज (पूर्वोक्त) के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने **गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान एवं अन्य, 2007 (4) एस बी आर 321** में भी लगभग इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया।

(10) जहाँ तक आरोपी द्वारा दी गई संस्वीकृति प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी/15) का संबंध है, उच्चतम न्यायालय ने **अघनू नगेसिआ बनाम बिहार राज्य, ए.आई.आर.1966 एस सी 119** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया कि 'धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट स्वयं में मौलिक साक्ष्य नहीं होती, परंतु जब सूचक गवाह के रूप में प्रस्तुत हो, तब धारा 157 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत उसके कथन की पुष्टि करने या धारा 145 के अंतर्गत उसे प्रतिपक्षी करने हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। जहाँ स्वयं आरोपी प्रथम सूचना देता है, वहाँ सूचना देने का तथ्य उसके विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 8 के अंतर्गत उसके आचरण के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। यदि दी गई सूचना गैर-स्वीकारोक्तिपूर्ण हो, तो वह धारा 21 साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक स्वीकृति के रूप में अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य और सुसंगत होती है। परंतु आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी को दी गई संस्वीकृति प्रथम सूचना रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 25 के अंतर्गत उसके विरुद्ध प्रयुक्त नहीं की जा सकती। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में **फड्डी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1964 एस सी 1850; निसार अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए.आई.आर. 1957 एस सी 366; एवं दाल सिंह बनाम राजा सम्राट, ए.आई.आर. 1917 पी सी 25** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भी अवलम्ब लिया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(11) ऊपर बताई गई बातों को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी /15) के विषय-वस्तु को, जो संस्वीकृति की ओर ले जाता है, अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं पढ़ा जा सकता। हालांकि, जानकारी देने की बात को अपीलकर्ता आनंद कुमार के खिलाफ उनके व्यवहार के सबूत के तौर पर पढ़ा जा सकता है, यदि अभियोजन द्वारा यह तथ्य स्थापित कर दे।

(12) अगली परिस्थिति, पुलिस थाना में साइकिल जब्त किए जाने की, संदिग्ध प्रतीत होती है।

साइकिल हेड कॉन्स्टेबल गंगाराम (अ.सा.-11) द्वारा जब्ती मेमो प्रदर्श पी /4 के माध्यम से जब्त की गई थी। यह मामला अपीलकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर साइकिल की खोज का नहीं था। अभियोजन के अनुसार, अपीलकर्ता वही साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन आए थे जिसे जब्त किया गया। सुरज प्रसाद (अ.सा.-8) पुलिस स्टेशन पलारी में तैनात एक कॉन्स्टेबल थे। उन्होंने बयान दिया कि वे 12 जून, 1989 को ड्यूटी पर थे और उनकी ड्यूटी दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि लगभग दोपहर 1:30 बजे अपीलकर्ता पुलिस स्टेशन पहुंचे। उस समय वह पुलिस स्टेशन में उपस्थित थे। न्यायलय में मुख्य परीक्षण के समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दोनों अपीलकर्ता पैदल पुलिस स्टेशन आए थे और उनके पास कोई साइकिल नहीं था | इस गवाह के पास अपने मुख्य परीक्षण में भी इस तरह गवाही देने का कोई कारण नहीं है। कांस्टेबल सूरज प्रसाद (अ.सा.-8) के साक्ष्य के आधार पर, अपीलकर्ताओं के पास से साइकिल जब्त किए जाने का तथ्य सिद्ध नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त, जब्ती मेमो में उल्लिखित समय में भी छेड़छाड़ पाई गई, जो इसे संदिग्ध बनाती है। इसलिए, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह मानकर अभिनर्धारित कर कि मृतक के पास घटना के समय जो साइकिल अधिपत्य में थी, वह अपीलकर्ताओं के कब्जे से पुलिस स्टेशन में जब्त की गई, जो कि कानून में त्रुटिपूर्ण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) लोकनाथ (अ.सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि लगभग सुबह 6:00 बजे वह गाँव भरुवाडीह से बलोदाबाजार जा रहा था । गाँव के बाहर अपीलकर्ताओं से उसकी मुलाकात हुई ।अपीलकर्ता गाँव भरुवाडीह से जंगल की ओर जा रहे थे। उसने देखा कि अपीलकर्ता आनंद कुमार के हाथ में लाठी थी। इसके बाद वह बलोदाबाजार चले गए। हम इसे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोगात्मक परिस्थिति मानने में असमर्थ हैं। सामान्यतः ग्रामीण सुबह में जंगल जाने के लिए निकलते हैं— नित्यकर्म से निवृत्त होने हेतु करने या जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। यह परिस्थिति, यदि ध्यान में भी रखी जाए, तो इसे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है और यह निर्णायक प्रकार की नहीं है तथा अपीलकर्ताओं के खिलाफ अधिक प्रभाव नहीं डालती। अपील करने वालों के खिलाफ कोई आरोप लगाने वाली बात थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14)कमलेश प्रसाद (अ.सा.-14) एक ड्राइवर था। उसने बयान दिया कि घटना वाले दिन लगभग सुबह 8-8:30 बजे, वह गाँव धाबाडीह में कुछ काम कर रहा था। उसने देखा कि अपीलकर्ता सेमरडीह की ओर से साइकिल पर आ रहे थे और बलोदाबाजार की ओर जा रहे थे। अपीलकर्ता रघुराई साइकिल चला रहा था और अपीलकर्ता आनंद कुमार साइकिल के कैरियर पर बैठा था। हम ध्यान दें कि उसने यह बयान नहीं दिया कि दोनों अपीलकर्ताओं अपने साथ डंडा भी ले जा रहे थे या उन्होंने खून से सने कपड़े पहने हुए थे साथ ही यह भी नहीं कहा कि साइकिल पर कोई विशेष निशान था, जैसे 'महेंद्र नंबर 41'। अभियोजन के अनुसार, मृतक के पास महेंद्र साइकिल स्टोर्स की साइकिल थी और इसके मड गार्ड पर 'महेंद्र संख्या 41' लिखा था। अभियोजन का मामला यह है कि हत्या के बाद, अपीलकर्ताओं ने मृतक की साइकिल लेकर पुलिस स्टेशन गए। साइकिल का यह निशान बहुत स्पष्ट था। यदि कमलेश प्रसाद (अ.सा.-14) ने यह सब देखा होता, तो भले ही सड़क पर जा रहे लोगों की ओर ध्यान देने का कोई कारण न था, उन्होंने उपरोक्त निशान को भी देखा होता। यहां तक कि यदि हम मान लें कि अपीलकर्ता साइकिल पर एक साथ देखे गए, फिर

भी, सामान्यतः यह उनके विरुद्ध दोष सिद्ध करने की स्थिति उत्पन्न नहीं करती और विद्वान सत्र न्यायाधीश ने इसे अपीलकर्ताओं के विरुद्ध दोष सिद्ध परिस्थिति मानने में कानूनी त्रुटि की।

(15) बलराम (अ.सा.-15) ने दावा किया कि उसने घटना देखी थी। उसने यह बयान दिया कि दुर्भाग्य दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था, जो सड़क से लगभग एक फ़र्लांग की दूरी पर स्थित है। सड़क किनारे से उसने 'बचाओ-बचाओ' जैसी चीखें सुनीं। उसने देखा कि दो लोग एक व्यक्ति पर हमला कर रहे थे। वे लाठियों से हमला कर रहे थे। जिस व्यक्ति पर हमला हुआ, वह सेमराडीह की ओर भागा। हमलावरों ने उसका पीछा किया। घायल व्यक्ति सेमराडीह की ओर से आ रही एक बैलगाड़ी पर चढ़ गया। उसके बाद भी हमलावरों ने उस पर हमला किया। उसे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ। उसने आगे बताया कि 15 मिनट बाद दोनों हमलावर सेमराडीह की ओर से वापस आ गए। मृतक की साइकिल, जो खड़ी हालत में रखी थी, वे ले गए। उन्होंने साइकिल पर रखे दूध के डिब्बों से दूध निकाला और अपनी लाठियाँ दूध से धोईं। उन्होंने दूध के डिब्बों को फेंक दिया और फिर उसी साइकिल पर सवार होकर चले गए। इस साक्षी के संपूर्ण साक्ष्य के विवेचना करने पर, हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि वास्तव में उसने घटना देखी थी जैसा कि उसने दावा किया है। अगर हम उसके साक्ष्य को सत्य भी मान लें, तो भी यह सिद्ध नहीं होता कि मृतक पर हमला करने वाले दोनों व्यक्ति अपीलकर्ता ही थे। यहाँ तक कि वह उस समय मृतक की पहचान भी नहीं कर सका, जिसका पता उसे बाद में चला। हम यह भी देखते हैं कि अभियोजन पक्ष ने उस व्यक्ति से पूछताछ नहीं की है जो कथित तौर पर बैलगाड़ी चला रहा था। यदि अ.सा.-15 का कथन सही माना जाता है, तो वह पूरी घटना का सबसे अच्छा गवाह था और हमलावरों के बारे में गवाही दे सकता था। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा मत है कि PW-15 की गवाही अभियोजन के लिए किसी काम की नहीं थी और वह किसी भी प्रकार से अपीलकर्ताओं को इस प्रश्नाधीन अपराध से नहीं जोड़ती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(16) यह साबित करने के लिए कि मृतक ने महेन्द्र साइकिल स्टोर्स, बलौदाबाजार से साइकिल किराए पर ली थी, दुकान का रजिस्टर (Ex.-P/25) प्रस्तुत किया गया | अभियोजन पक्ष रजिस्टर में 11.6.89 को की गई अंतिम प्रविष्टि पर अवलंब लिया। ग्राहक के नाम वाले कॉलम में मृतक का नाम दर्ज नहीं है। वहाँ "दूधवाला रावत" लिखा है और कोष्ठक में "जन्तु" शब्द जोड़ा गया है। "जन्तु" शब्द स्पष्ट रूप से बाद में जोड़ी गई लिखावट प्रतीत होती है। रजिस्टर का 4" कालम साइकिल ले जाने के समय को और 5" कालम साइकिल वापस करने के समय को दर्शाता है। 4" कालम में समय 7.10 लिखा है, हालांकि, 5" कालम में समय का कोई उल्लेख नहीं है और वहाँ सिर्फ "कल" लिखा हुआ है। आमतौर पर वापसी का समय साइकिल वापस करते समय दर्ज किया जाता है। ऐसा लगता है कि इस प्रविष्टि में भी हेराफेरी की गई है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर ओवरराइटिंग की गई है। साइकिल स्टोर के मालिक महेंद्र कुमार भट्टर से अ.सा.-13 के रूप में पूछताछ की गई है। हालाँकि उन्होंने यह गवाही दी कि मृतक ने 11.6.89 को साइकिल किराए पर ली थी, लेकिन वे उक्त प्रविष्टि में की गई जोड़-तोड़ और ओवरराइटिंग की व्याख्या नहीं कर सके। उन्होंने स्वीकार किया कि रजिस्टर में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर कहीं नहीं हैं जिसने उनकी दुकान से साइकिल ली थी। सम्पूर्ण रजिस्टर की विषय-वस्तु के अवलोकन से ऐसा लगता है कि अन्य दिनों में भी साइकिलें शाम 7.00–8.00 बजे के बाद दी गईं, जिससे पता चलता है कि यह दुकान सामान्य रूप से 8–8.30 बजे तक खुली रहती है। लेकिन 11.6.89 की संबंधित प्रविष्टि यह दर्शाती है कि मृतक वह आखिरी व्यक्ति था, जिसने साइकिल शाम 7.10 बजे ली। रजिस्टर की पूरी जांच और संबंधित कालम में की गई जोड़-तोड़ को देखते हुए, रजिस्टर में मृतक का नाम दर्ज करना संदिग्ध प्रतीत होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) जहाँ तक अपीलकर्ताओं की खून से सनी लाठियों और कपड़ों की ज़ब्ती का प्रश्न है, बलराम (अ.सा.-15) की गवाही से हमें पता चलता है कि जिन लोगों ने मृतक पर हमला किया था, उन्होंने दूध के बर्तनों से दूध निकालकर अपनी लाठियाँ धोई थीं। अगर ऐसा था, तो उन लाठियों पर खून के धब्बे कैसे पाए गए |हम आगे यह भी देखते है की एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी/33) में इन वस्तुओं पर खून के धब्बे पाए गए थे, लेकिन उनके रक्त समूह का निर्धारण नहीं किया जा सका,

जो कि सीरोलॉजिस्ट रिपोर्ट (प्रदर्श पी/34) से स्पष्ट है। यह बात स्वीकार की जाती है कि कपड़े अपीलकर्ताओं के ही थेऔर लाठी गांव के लोगों द्वारा रखे जाने वाले बहुत सामान्य सामान हैं। जब तक यह साबित नहीं हो जाता कि इन वस्तुओं पर पाए गए खून के धब्बे मृतक के थे, ऐसी वस्तुओं की ज़ब्ती और उन पर खून की मौजूदगी अपने आप में अपीलकर्ताओं के खिलाफ़ अभियोगात्मक परिस्थितियाँ नहीं होंगी। हमारी राय में, ऐसी परिस्थितियाँ व्याख्या योग्य थीं। इन वस्तुओं पर खून की मौजूदगी के कई कारण हो सकते हैं और सबसे संभावित कारण यह है कि खून के धब्बे अपीलकर्ताओं के हो सकते हैं। हम देखते हैं कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता रघुराई की उंगलियों पर चोटें थीं। इसलिए, मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, दोषसिद्धि केवल इस एक परिस्थिति पर आधारित नहीं हो सकती।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(18) रिकॉर्ड में दर्ज संपूर्ण साक्ष्यों का विवेचन करने पर हमें लगता है कि अभियोजन द्वारा पेश की गई परिस्थितियाँ पूरी तरह से स्थापित नहीं हुईं, और वे केवल अपीलकर्ताओं की दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप भी नहीं थीं। उपरोक्त परिस्थितियाँ व्याख्या योग्य थीं और निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की नहीं थीं, जिससे अपीलकर्ताओं द्वारा मृतक की हत्या करने की परिकल्पना को छोड़कर, हर संभावित परिकल्पना को खारिज किया जा सके। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कोई पूरी श्रृंखला नहीं है, जिससे अपीलकर्ताओं की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने और यह मानने का कोई युक्तियुक्त आधार न बचे कि पूरी मानवीय संभावना के तहत अपीलकर्ताओं ने मृतक की हत्या की थी।

(19) पूर्वगामी कारणों से, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलकर्ताओं को उनके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानतनामा निरस्त किए जाते हैं और जमानतदाता को उन्मोचित किया जाता है |

सही

मुख्य न्यायाधीश

सही

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Adv. Shikha Kaushik